"हमारे संविधान के बारे में छात्रों के लिए जागृति कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए " – प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016 : संविधान दिवस समारोह के भाग के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसदीय सौध में लोक सभा सचिवालय के अध्यक्षीय शोध कदम द्वारा आयोजित एक समारोह में "भारत का संविधान (अद्यतन संस्करण) " और "मेकिंग ऑफ द कांस्टीटय़ूशन (संविधान निर्माण) शीर्षक वाली दो पुस्तकों का विमोचन किया । लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन; राज्य सभा के उपसभापति, प्रो. पी.जे.कुरियन; और लोक सभा उपाध्यक्ष, डा. एम. तम्बिदुरै इस अवसर पर उपस्थित थे । अनेक केन्द्रीय मंत्री और संसद सदस्य भी समारोह में शामिल हुए ।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने युवा पीढ़ी को संविधान और इसकी मूल भावना के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि "हमारे संविधान के बारे में छात्रों के लिए जागृति कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए " उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूली बच्चों को साल में कम से कम एक बार संविधान की उद्देशिका पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । संविधान निर्माण में बाबा साहेब अंबेडकर के महान योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 नवम्बर के बिना 26 जनवरी न होती क्योंकि हमारे संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया था । श्री मोदी ने यह भी कहा कि संविधान में निहित आदर्शों का उत्तरोतर अनुपालन एक अनवरत प्रक्रिया है और

संविधान की व्याख्या समय के साथ बदली है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लोगों में जो कर्त्तव्य की भावना थी वह आज केवल अपने अधिकारों की मांग में बदल गई है जो हमारे देश के लिए एक चुनौती है। श्री मोदी ने स्मरण कराया कि भारत की विरासत का संरक्षण करना और देश में नई शक्ति जगाना हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य है।

संविधान की व्याख्या भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में करते हुए लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब संसद सदस्य संसद के लिए निर्वाचित होते हैं तो उन्हें भारत के संविधान की एक प्रति दी जाती है जिसका उन्हें अनुपालन करना चाहिए। संविधान दिवस मनाने की पहल के बारे में बोलते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अध्यक्षीय शोध कदम में 23 और 24 नवम्बर, 2016 को संवैधानिक महत्व के मुद्दों के बारे में कार्यशालाओं का आयोजन किया था अर्थात् "संविधान की उद्देशिका- इसका उद्देश्य और महत्व " ; "राज्य के अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण " ; "मूल कर्त्तव्य और अधिकार " तथा "भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का एकात्मक और संघात्मक ढांचा। उन्होंने सदस्यों को बताया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोक सभा सचिवालय में संविधान सभा के वाद-विवाद के डिजिटीकरण की प्रक्रिया चल रही है।